Indian Polity Lecture-01

सरकार (Government)

- सरकार राज्य का मूर्त (Concrete) रूप है।
- राज्य के चार अंग होते हैं

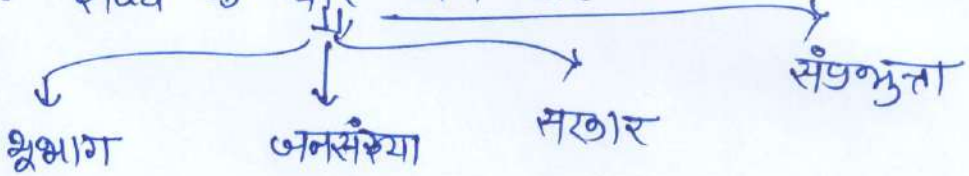

- सरकार के तीन अंग होते हैं

- सरकार की सर्वोच्च शक्ति को ही संप्रभुता कहा जाता है और यह संप्रभुता व्यवहारिक रूप में राज्य के दण्ड देने की शक्ति में दिखायी देती है। इसीलिए प्रत्येक सरकार में पुलिस और सेना का निर्माण होता है।
- फिलिस्तीन आज भी राज्य नहीं बन सका क्योंकि उनकी भूभाग एवं जनसंख्या है लेकिन उनकी कोई पुलिस व सेना नहीं है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

- संप्रभुता का आशय एक भौगोलिक क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति से है और उस भू-भाग में कोई भी समूह या संगठन राज्य की शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता और वाह्य रूप में भी राज्य पर कोई नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता।

समाज

- समाज के अंतर्गत परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा अन्य धार्मिक समूहों को शामिल किया जा सकता है।
- समाज के लिए भू-भाग का होना अनिवार्य नहीं है।
- समाज का दायरा सरकार से बड़ा होता है क्योंकि सरकार में विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका शामिल है, जबकि समाज में व्यापार, किसान, मजदूर, पर्यावरण संगठन इत्यादि

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

शामिल हैं।

- समाज के पास संप्रभुता नहीं होती, जबकि राज्य की मूल विशेषता ही संप्रभुता है।

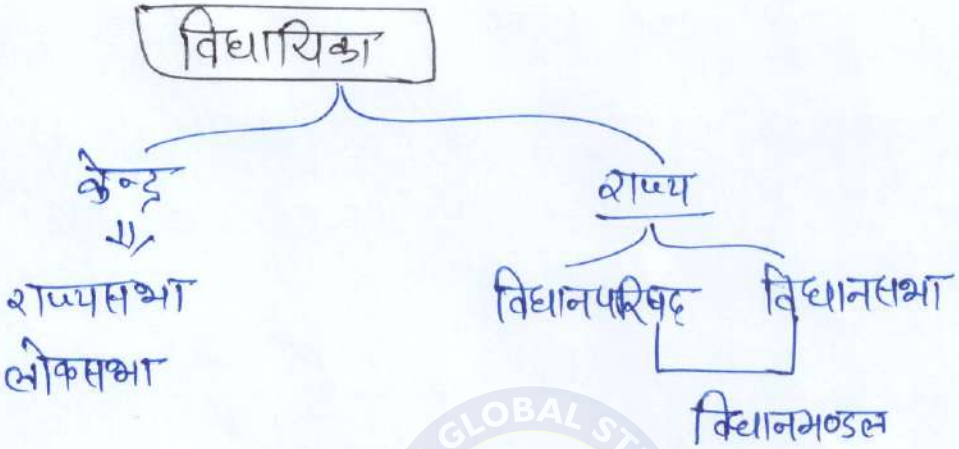

- विधायिका का मूल कार्य भारत में विधि का निर्माण करना है।

कार्यपालिका

- विधायिका के द्वारा निर्मित विधियों को लागू करने का दायित्व कार्यपालिका का है।
- इसके अतिरिक्त कार्यपालिका नीति का निर्माण भी करती है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- लोकतंत्र में अस्थायी कार्यपालिका का महत्व, स्थायी कार्यपालिका से ज्यादा होता है क्योंकि अस्थायी कार्यपालिका निर्वाचित होती है।

न्यायपालिका

- न्यायपालिका का मूलकार्य विवादों का समाधान करना है।

- न्यायपालिका → उच्चतम, उच्च, जनपद

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

• न्यायपालिका भी गैर- निर्वाचित संस्था है और न्यायालय को संविधान की रक्षा का दायित्व भी दिया गया है तथा मूल अधिकारों की रक्षा का कार्य भी न्यायालय का है।

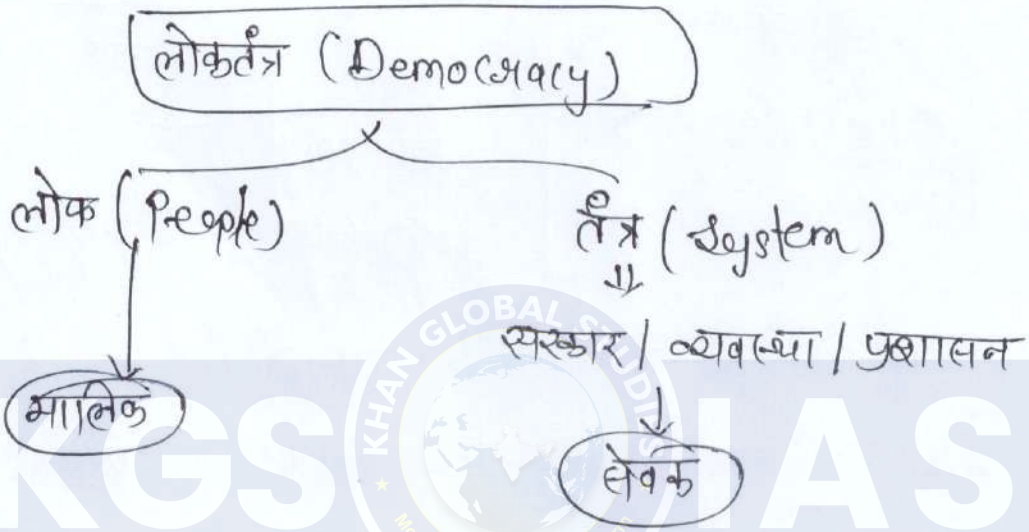

लोकतंत्र को सामान्यतः एक शासन प्रणाली के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ सरकार आम जनता के द्वारा निर्वाचित हो और आम जनता के प्रति उत्तरदायी हो। इसीलिए लोकतांत्रिक राज्यों में नियतकालिक निर्वाचन का प्रावधान होता है।

• लोकतंत्र को सामाजिक व्यवस्था के रूप में भी देखा जा सकता है जहां व्यक्ति के साथ

जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और बहुमत, अल्पमत का दमन नहीं करेगा।

- इससे भी बढ़कर लोकतंत्र का एक आदर्श और दर्शन है जिसके अनुसार,-

(i) एक साधारण व्यक्ति विशिष्ट बन जाता है।

(ii) प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का समान सम्मान होता है।

(iii) लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा का महत्व तभी होगा जब समाज में समानता तथा सामाजिक न्याय भी विद्यमान हो।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR